

## बिहार गजट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1945 (श0) (सं0 पटना 924) पटना, सोमवार, 30 अक्तूबर 2023

विधि विभाग

अधिसूचना 30 अक्तूबर 2023

एस0ओ0 354 दिनांक 30 अक्तूबर 2023—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उपधारा-(1) एवं धारा-14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों का उपान्तरण करते हुए बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि:-

- (क) अरिरया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अनुमंडल में अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)]का न्यायालय एवं मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय स्थापित किया जायेगा,
- (ख) फारबिसगंज अनुमंडल के अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] के न्यायालय एवं मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालय की अधिकारिता अरिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल की सम्पूर्ण स्थानीय सीमार्ये रहेंगी,
- (ग) फारबिसगंज अनुमंडल के अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय एवं मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय फारबिसगंज में बैठेगा।
- (घ) यह अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर, 2023 से प्रभावी होगी।

(सं0सं0-ए/एक्ट-06/2020-8309/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।

## 30 अक्तूबर 2023

एस0ओ0 354 दिनांक 30 अक्तूबर 2023 का अंग्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए/एक्ट-06/2020-8309/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रमेश चन्द मालवीय,

सरकार के सचिव।

## The 30<sup>th</sup> October 2023

**S.O 354 dated 30<sup>th</sup> October 2023**—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and in modification of the previous notifications and orders issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that:-

- (a) The Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] of Forbesganj Sub-division in the district of Araria shall be established at Forbesganj;
- (b) The Jurisdiction of the Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] of For besganj sub-division shall be the entire local limits of the Sub-division of Forbesganj in the District of Araria;
- (c) The Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and The Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] of Forbesganj sub-division shall hold its sittings at Forbesganj.
- (d) This Notification shall come into force with effect from 04<sup>th</sup> November, 2023.

(File No.-A/Act-06/2020-8309/J.)
By Order of the Governor of Bihar
Ramesh Chand Malviya,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 924-571+100-डी0टी0पी0

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>